

**बिहार सरकार**  
**अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग**

सं०-3/निदेश०(प्रा०प०प्र०के०)10-01/2022 1028

प्रेषक,

नवल किशोर, भा०प्र०से०,

निदेशक।

सेवा में,

प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी,

पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर,

सारण (छपरा), भोजपुर (आरा), सहरसा, पूर्णियाँ, मुंगेर।

पटना, दिनांक:- 10/03/2023

विषय:- प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की उपस्थिति एवं छात्रवृत्ति/वजीफा भुगतान करने हेतु मार्गदर्शन।


प्रसंग:- प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर का पत्रांक-1691 दिनांक-10.12.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। केन्द्र में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/वजीफा भुगतान करने का प्रावधान है।

2-उल्लेखनीय है कि प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत् स्थानीय विद्यार्थियों को ₹1500/- प्रतिमाह तथा जिला के बाहर के विद्यार्थियों को ₹3000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना है। छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक माह 75 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका-2 के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,  
  
(नवल किशोर)  
निदेशक।